

## विषय सूची

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		v
कार्यकारी सार		vii
<b>अध्याय-I विहंगावलोकन</b>		
राज्य की रूपरेखा	1.1	1
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण	1.2	4
प्रतिवेदन की संरचना	1.3	4
शासकीय लेखे की संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन	1.4	5
राजकोषीय अवशेष : घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि	1.5	10
लेखापरीक्षा जांचोपरांत घाटा और कुल ऋण	1.6	14
<b>अध्याय-II राज्य के वित्त</b>		
राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तन	2.1	17
निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग	2.2	17
राज्य के संसाधन	2.3	19
संसाधनों का अनुप्रयोग	2.4	30
लोक लेखा	2.5	44
ऋण प्रबंधन	2.6	49
राजकोषीय घाटे के घटक और इसका वित्तपोषण	2.7	52
संस्तुतियाँ	2.8	60
<b>अध्याय-III बजटीय प्रबन्धन</b>		
बजट प्रक्रिया	3.1	63
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणियाँ	3.2	66
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ	3.3	74
संस्तुतियाँ	3.4	82
<b>अध्याय -IV लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग परम्परायें</b>		
राज्य की संचित निधि या लोक लेखे से बाहर रखी गयी निधियाँ	4.1	85
राज्य के स्वामित्व वाले पीएसयू/प्राधिकरणों के माध्यम से प्राप्त गैर-बजट ऋण को संचित निधि में जमा नहीं किया जाना	4.2	89
परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में अनुन्मोचित देनदारियाँ	4.3	90

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि की स्थापना न होना	4.4	92
उपभोग प्रमाणपत्र के प्रेषण में विलम्ब	4.5	93
संक्षिप्त आकस्मिक बिल	4.6	95
वैयक्तिक जमा/वैयक्तिक लेजर खाते	4.7	96
लघु शीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण प्रयोग	4.8	97
बहुप्रयोजनीय मानक मद: '42-अन्य व्यय' के अन्तर्गत अत्यधिक व्यय	4.9	100
मुख्य उचन्त एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत बकाया अवशेष	4.10	101
ऋण और अग्रिम के प्रतिकूल अवशेष	4.11	103
विभागीय आंकड़ों का मिलान न किया जाना	4.12	103
स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के लेखाओं/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुत किया जाना	4.13	104
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम/निगम/ कम्पनियां	4.14	105
दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, आदि	4.15	106
संस्तुतियाँ	4.16	107
<b>अध्याय-V</b>		
<b>राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य-कलाप</b>		
परिचय	5.1	109
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	5.2	111
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता	5.3	111
उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के साथ मिलान	5.4	113
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन	5.5	114
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का लाभ/हानि	5.6	114
निवल मूल्य का क्षरण	5.7	116
लाभांश का भुगतान	5.8	117
पूँजी पर प्रतिफल	5.9	118
नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	5.10	118
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के दीर्घकालिक ऋणों का विश्लेषण	5.11	119
ब्याज व्याप्ति अनुपात	5.12	119
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयुवार विश्लेषण	5.13	120
सरकारी कम्पनियों के लेखाओं पर टिप्पणियाँ	5.14	121
सांविधिक निगमों के लेखाओं पर टिप्पणियाँ	5.15	121
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	5.16	122
अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	5.17	124
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही	5.18	125
संस्तुतियाँ	5.19	125

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
<b>परिशिष्टियाँ</b>		
परिशिष्ट – 2.1	राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आँकड़े	127
परिशिष्ट – 2.2	2015–20 की अवधि में स्वयं का कर/करेतर राजस्व का संग्रह	129
परिशिष्ट – 2.3	आरक्षित निधियों का विवरण	130
परिशिष्ट – 3.1	वर्ष 2019–20 के दौरान एकमुश्त प्रावधान	131
परिशिष्ट – 3.2	2019–20 के बजट अभिलेख में केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के वित्त पोषण पद्धति (केन्द्रांश/राज्यांश/वित्तीय संस्थायें) का उल्लेख नहीं किया जाना	132
परिशिष्ट – 3.3	उन प्रकरणों का विवरण जहाँ केन्द्रीय योजनाओं/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में कुल केन्द्रांश और वित्त पोषण प्रतिरूप में राज्यांश 100 प्रतिशत से अधिक/कम या अन्य वित्तीय संस्थान/अनुदानकर्ता के वित्त पोषण अंश का उल्लेख नहीं है।	133
परिशिष्ट – 3.4	2019–20 में प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक बचत वाले अनुदान	134
परिशिष्ट – 3.5	जिन प्रकरणों में अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	139
परिशिष्ट – 3.6	अनावश्यक पुनर्विनियोजन	143
परिशिष्ट – 3.7	योजनायें जिनके लिए मूल और अनुपूरक प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जा सका	148
परिशिष्ट – 3.8	उन योजनाओं का विवरण जिनसे मूल, अनुपूरक प्रावधानों को अन्य योजनाओं में पुनर्विनियोजित किया गया	168
परिशिष्ट – 4.1	विभिन्न निकायों और प्राधिकरणों के लेखे के अन्तिमीकरण के लम्बित होने का विवरण	174
परिशिष्ट – 4.2	विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखाओं के अन्तिमीकरण और निवेशों का विवरण	176
परिशिष्ट – 5.1	नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार इस अध्याय में शामिल किए गए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय परिणाम का सारांश	177
परिशिष्ट – 5.2	राज्य पीएसयूज का विवरण जो इस अध्याय में शामिल नहीं हैं	181
परिशिष्ट – 5.3	इस अध्याय में शामिल किये गये राज्य पीएसयू से सम्बंधित 31 मार्च 2020 को पूँजी एवं बकाया ऋणों की स्थिति को दर्शाती हुई विवरणी	186
परिशिष्ट – 5.4	31 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं के बीच पूँजीए ऋण एवं प्रत्याभूति के अन्तर को दर्शाती हुई विवरणी	191
परिशिष्ट – 5.5	राज्य पीएसयूज जिनके लेखे बकाया थे उनमें राज्य सरकार के निवेश की स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्र	199
	<b>पदों की व्याख्या</b>	<b>204</b>
	<b>प्रथमाक्षरी</b>	<b>206</b>

